



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित, अवैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री के अपराधों में लिप्त अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.09.21

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अवैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी बिसवां के कुशल नेतृत्व में थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 340/2021 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रेउसा, सीतापुर में वांछित अभियुक्त लवकुश पुत्र परमेश्वर निवासी ग्राम चन्द्रसेनी थाना रेउसा जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध शराब निष्कर्षण/विक्रय/परिवहन जैसे अपराध कारित करता है। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

- लवकुश पुत्र परमेश्वर निवासी ग्राम चन्द्र सेनी थाना रेउसा जनपद सीतापुर

पुलिस टीम थाना मछरेहटा-

1. उ0 नि0 श्री रमेश कनौजिया
2. हे0का0 यशवन्त सिंह
3. हे0का0 दीपक वर्मा
4. म0 आ0 अंजू
5. म0आ0 प्रगति शर्मा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त लवकुश उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 95/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर
2. मु0अ0सं0 340/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रेउसा सीतापुर

